उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

888236

03 JUN 2010

अगर खुदानख्वास्ता कोई वारिस या दावेदार कौमी या [illegible] या नीज़ दीगर कोई खियालतदार आराजी मजकूर में पैदा होकर दावा व झगड़ा खरीदार से करे या उसकी वजह से या किसी दीगर वजह से आराजी मजकूर का कुल कब्जा व दखल खरीदार से निकल जावे या बैनामा हाजा में कोई कानूनी नुक्स पैदा हो तो ऐसी तमाम सूरतों में उस कुल की जवाब देही व जिम्मेदारी व अदायगी जर समन मजकूर मय सूद खर्चे व हर्जे व तावान के जिम्मे जात खास व जायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किस्म विक्रेता व कायम मुकामान विक्रेता के होगी और खरीदार को मजाज होगा कि वह अपना कुल रुपया जरिये अदालत वसूल कर ले। इसमें विक्रेता व कायम मुकामान कोई उज्र नहीं होगा ।

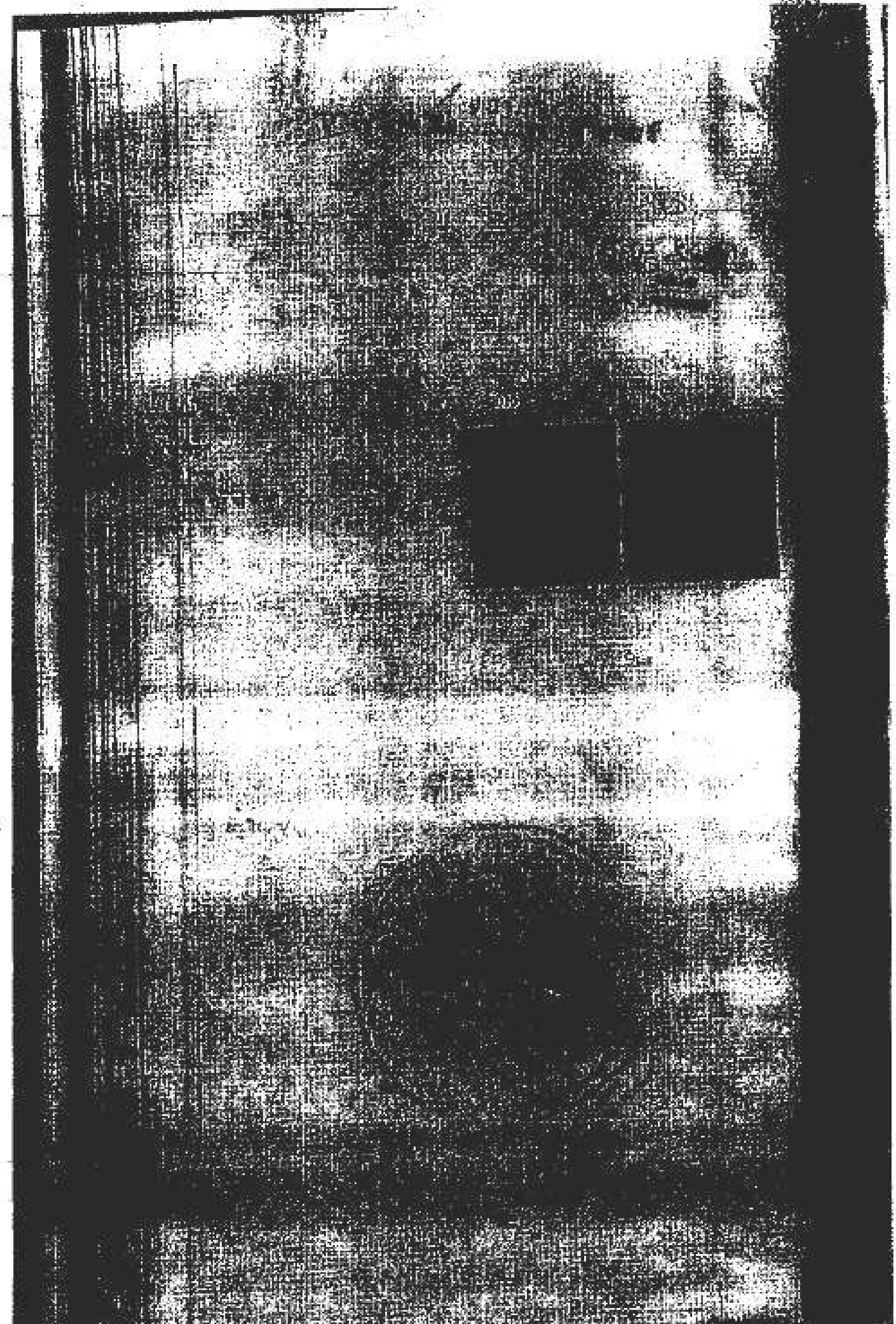

र न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 646551

01 JUN 2010

-7-

तफसील वकुलधावी जर समन इस प्रकार है-:

यह किमुबलिग 15,00,000/=रुपया बजरिये चैक नम्बर दो किता चैक नम्बरी 259025 व 259026 के द्वारा वसूल पा लिये जो दिनांक 4-8-2009 के हैं । व मुबलिग 6,00,000/=रुपया बजरिये चैक नम्बर 261941 - दिनांक 10-7-2010 जुमला चैक एक्सिस बैंक लि0 बारह खम्बा रोड नई दिल्ली के वसूल पाना तय करार पाया मीजान कुल मुबलिग 21,00,000/=रुपया ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

N 530810

मुकेश भारद्वाज
उपकोषाधिकारी
08 JUN 2010
कोषागार, आगरा

लिहाजा यह बैनामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे तहरीर तारीख 16-6-2010 व मसौदा दिनेश कुमार बंसल दस्तावेज लेखक सदर तहसील आगरा ने व इकरार फरीकेन के कथनानुसार

प्रबंधक

सचिव

रमाकांत सहकारी आवास समिति लि० आगरा

[illegible] 20[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH N 530809

सदर तहसील परिसर आगरा में टाईप कराया।

08 JUN 2010

मुद्रक ——— टंकक

हाऊसिंग सहकारी आवास समिति लि० आगरा